अनुसूची 2
विनियम 5(2) देखें

संविभाग निवेश योाना के अंतर्गत पंााकृत विदेशी संस्थागत निवेशक
द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंर्िरों
का क्रय/विक्रय

1. शेंयरों और/अथवा परिवर्तनीय डिबेंर्िरों का क्रय/विक्रय

1) संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत कोई पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक. किसी भारतीय कंपनी के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंर्िरों की खरीद हेतु अनुमति के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के माध्यम से रिज़र्व बैंक को आवेदन कर सकता है। रिज़र्व बैंक इस संबंध में आवश्यक समझी गई शर्तों पर अनुमति प्रदान कर सकता हैं।

2) पैराग्राफ 1 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्रदत्त पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्ततीय डिबेंर्िरों की खरीद भारत के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सर्िंााटं में पंााकृत दलालों के माध्यम सें करेंगे।

3) इन विनियमों के अनुसार शेयरों/डिबेंचरों की खरीद के लिए विचारणीय राशि का भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश से भजो गए विप्रेषण से या भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा के खातें में धारित निधि में से किया जाएगा।

4) प्रत्येक विदेशी संस्थागत निवेशक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेश संस्थगत निवेश्क के प्रत्येक उपखाते की सकल धारित राशि किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंर्िरों की प्रत्येक श्रृंखला की कुल र्िंजकता ईक्विटी पूंाा के 10% अथवा चुकता मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार से सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप खातों को मिलाकर कुल धारित राशि परिवर्तनी डिबेंर्िरों की प्रत्येक श्रृंखला की र्िंजकता ईक्विटी पूंजी अथवा चुकता मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी,

बशर्ते इस पैराग्राफ में दी गई 24 प्रतिशत की सीमा को संबंधित भारतीय कंपनी उसके निदेशक मंडल द्वारा संकल्प पारित करके और उस संकल्प के संबंध में कंपनी की आम सभा द्वारा विशेष संकल्प पारित करके 40 प्रतिशत कर सकती हैं।

स्पष्टीकरण :

विदेशी संस्थागत निवेशकों की धारित राशि की उच्चतम सीमा की गणना के लिए उसमें प्राथमिक और गौण बाजार दोनों से प्राप्त किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंर्िरों को शामिल किया जाएगा। तथापि, इसकी उच्चतम सीमा में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपतटीय (ऑफशोर) निधियों, ग्लोबल डिपॉज़िटरी रसीद और यूरो-कंवर्टिबल बांड में किए गए निवेश शामिल नहीं होंगे।

5) किसी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को इस पैराग्राफ के उप-पैरा 1(4) में निर्दिष्ट उर्िर्ततम सीमा के अधीन निजी प्लेसमेंट/व्यवस्था के माध्यम से गैरसूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंर्िरों को खरीदने की अनुमति भी दी जा सकती है।

2. पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय
डिबेंर्िरों की खरीद व बिक्री का कारबार करने के लिए खाता रखना

रिज़र्व बैंक इस योाना के अंतर्गत पंााकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को आवेदन करने पर, शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंर्िरों की खरीद व बिक्री से संबंधित प्राप्तियों और भुगतान कारबार के लिए किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा में विदेशी मुद्रा खाता और/अथवा अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है :

(i) खाते में राशि सामान्य बैंकिंग चैनल द्वारा आवक विप्रेषण अथवा स्टॉक एक्सचेज में विक्रय किए गए शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंर्िरों के विक्रय आगमों (कर के बाद) को जमा करके जुटाई जाएगी।

(ii) इस योजना के पैराग्राफ 1 में किए गए प्रावधानों के अनुसार इस खाते की निधि का उपयोग शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंर्िरों की खरीद के लिए या फिर भारत से बाहर विप्रेषण के लिए किया जाएगा।

(iii) पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक क विदेशी मुद्रा खाता की निधि को उसी विदेशी संस्थागत निवेशक के अनिवासी रुपये खाता में अंतरित किया जा सकता हैं और यह अंतरण विनरीत दिशा में भी किया जा सकंता हैं।

3. शेंयरों/ डिबेंर्िरों के बिक्री आगमों का विप्रेषण

किसी प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा संबंधित पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक को शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंर्िरों के निवल बिक्री आगमों के विप्रेषण (कर भुगतान के बाद) अथवा बिक्री आगमों की निवल राशि को विदेशी मुद्रा खाता अथवा अनिवासी रुपया खाता में जमा करने की अनुमति दे सकता है।

3. कतिपय अन्य निवेशकों द्वारा निवेश

1. रिज़र्व बैंक ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, उक्त योजना के अधीन निम्नलिखित की ओर से निवेश करने के लिए किसी देशी परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी या संविभाग प्रबंधक को, जो किसी उप-खाते की निधियों के प्रबंधन हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में सेबी में पंजीकृत हो, अनुमति प्रदान कर सकता है
   (i) भारत से बाहर का निवासी कोई विदेशी नागरिक, या
   (ii) भारत से बाहर पंजीकृत कोई कंपनी निकाय,
   बशर्ते ऐसा निवेश सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत के बाहर जुटाई गई, एकत्र की गई या लायी गई निधियों में से किया जाए,
2. उप-पैरा (1) के अंतर्गत अनुमति प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को सेबी के माध्यम से आवेदन किया जाए।
3. उप-पैरा (1) के अंतर्गत किये गाने के लिए अनुमत निवेश कुल प्रदत्त ईक्विटी पूंजी के 5% (पाच प्रतिशत) या किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 5% (पांच प्रतिशत) से अधिक नहीं होंगे और इस अनुसूची के पैरा 1 के उप-पैरा (त) में विनिर्दिष्ट समग्र उच्चतम सीमा से अधिक भी नहीं होंगे।